पत्रांक-14/प्र०भ०-21-07/2024 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार पटना।
***द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक-

विषयः- नगर पंचायत, कोचस में प्रशासनिक भवन के निर्माण/जीर्णोद्धार मद अंतर्गत स्वीकृत प्रशासनिक भवन योजना के लिये देनदारी राशि रू० 134.45284 लाख (एक करोड़ चौंतीस लाख पैंतालीस हजार दो सौ चौरासी रू०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2026-27 राशि के व्यय की स्वीकृति।

आदेशः- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में विभागीय राज्यादेश संख्या-110, दिनांक-13.02.2015 द्वारा नगर पंचायत, कोचस में प्रशासनिक भवन/नगर सरकार भवन के निर्माण योजना की प्रशासनिक स्वीकृत किया गया था। साथ ही विभागीय राज्यादेश संख्या-269, दिनांक-08.01.2025 द्वारा नगर पंचायत, कोचस को योजना के क्रियान्वयन हेतु रू० 22.79492 लाख मात्र आवंटित की गई थी।

2. बुडको के पत्रांक-1200, दिनांक-11.04.2026 द्वारा प्रशासनिक भवन के निर्माण कार्य हेतु पूर्व में प्राप्त राशि के व्ययोपरांत अवशेष राशि आंवटित करने का अनुरोध किया गया है।

3. उक्त के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026-27 में निम्न तालिका के स्तम्भ-02 में अंकित नगर पंचायत, कोचस में प्रशासनिक भवन निर्माण की योजना को स्तम्भ-08 के अनुरूप तत्काल प्रशासनिक भवन जीर्णोद्धार मद से सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत स्वीकृत की जाती है:-

(राशि लाख में)

क्र०सं०	निकाय का नाम	पी०एल० खाता संख्या/एच०ओ०ए० संख्या	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	एकरारनामा+ सेंटेज की राशि	पूर्व में आवंटित कुल राशि	अवशेष राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	नगर पंचायत, कोचस	DHRPLA001/00-8448-00-102-0003-00-01	प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य	169.56	157.24776	22.79492	134.45284

(अर्थात कुल स्वीकृति की राशि रू० 134.45284 लाख (एक करोड़ चौंतीस लाख पैंतालीस हजार दो सौ चौरासी रू०) मात्र

2. उक्त स्वीकृत राशि राशि रू० 134.45284 लाख (एक करोड़ चौंतीस लाख पैंतालीस हजार दो सौ चौरासी रू०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होगें, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561, दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-227, दिनांक-28.03.2025 में निहित अनुदेशों के आलोक में राशि की निकासी की जायेगी। अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा उक्त राशि की निकासी करते हुये उपरोक्त तालिका के स्तम्भ-03 में अंकित PL खाता संख्या एवं HOA संख्या में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।

5. राज्य योजनाओं एवं अन्य समरूप योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में विभाग द्वारा निर्गत विभिन्न दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. उक्त स्वीकृत कुल रू० 134.45284 लाख (एक करोड़ चौंतीस लाख पैंतालीस हजार दो सौ चौरासी रू०) मात्र की निकासी माँग संख्या-48 नगर विकास एवं आवास विभाग, मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का विकास, लघु शीर्ष-193-नगर पंचायतों –अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उपशीर्ष-0101-नगर पंचायतों के प्रशासनिक एवं तकनीकी भवनों का निर्माण-जीर्णोद्धार हेतु सहायक अनुदान, विपत्र कोड-48-2217031930101, विषय शीर्ष-0105.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पतियों के से की जाएगी।

8. चूंकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम-431 के आलोक में यथा बीटीसी फॉर्म सं०-42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-1496, दिनांक-22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। वित्त विभाग के संकल्प सं०-573, दिनांक-16.01.1975 एवं एम 04.15/2009.9736, दिनांक-09.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271 (ड़) के अनुसार सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक-63, दिनांक-11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण-पत्र BTC-42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

10. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृष्ठ सं०- 09 /टि० पर दिनांक-01.10.2024को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०- 10 /टि० पर दिनांक-10.10.2024....को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:- 14/प्र०भ०-21-07/2024 223 /न०वि०एवंआ०वि०, दिनांक- 29/10/2026

प्रतिलिपिः- प्रमंडलीय आयुक्त, संबंधित प्रमंडल/संबंधित जिला पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, कोचस/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/ विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित नगर निकायों को ई०-मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02, 06 एवं 14, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।